संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./सामा.सहा.02ब/2025/I/528715/2025 भोपाल, दिनांक 30-09-2025

प्रति,

समस्त संयुक्त / उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश।

विषय- पेंशन पोर्टल पर आधार e-KYC हेतु शेष पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रं./98/2025/26-2 दिनांक 27/01/2025, क्रमांक/I/407440/2025/26-2, दिनांक 01.08.2025, संचालनालय का पत्र क्रं./ सामा0सहा0-02ब/I/444238/2925, दिनांक 19.08.2025 एवं पत्र क्रं. सामा0सहा0-02ब/I/486251/2025 दिनांक 09/09/2025

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि दिनांक 31/08/2025 तक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के समस्त पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की कार्यवाही सुनिश्चित कर एवं तदउपरांत जिन पेंशन हितग्राहियों की आधार ई-केवायसी नहीं होगी, उन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड पर रखा जावे ।

उपरोक्तानुसार 31 अगस्त, 2025 की स्थिति में जिन पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी नहीं हो सका है, उन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड कर दिया गया है एवं दिनांक 09/09/205 को जारी पत्र में जिन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड किया गया है, उनका सत्यापन करने हेतु प्रक्रिया से अवगत कराया गया था। कृपया जिलेवार सत्यापन की रिपोर्ट का अवलोकन करने का कष्ट करें 2,93,730 होल्ड पेंशन प्रकरणों में से केवल 13,925 प्रकरणों के भौतिक सत्यापन की स्थिति को पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया गया है, जो कि केवल 4.74% है। समस्त स्थानीय निकायों की समीक्षा किये जाने हेतु निकायों में पदस्थ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं जिन निकायों में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पदस्थ नहीं है, उन निकायों में समन्वय हेतु सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार की जानकारी भी पेंशन पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उक्त जानकारी भी पेंशन पोर्टल पर अधिकांश जिलों द्वारा दर्ज नहीं की गई है।

अत: उपरोक्तानुसार 30 नवम्बर 2025 तक होल्ड किये गये समस्त प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कर सत्यापन की स्थिति को पेंशन पोर्टल पर अपडेट करने हेतु निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें । साथ ही समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी को पेंशन पोर्टल पर यथाशीघ्र दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक, (सा.सहा.)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./सामा.सहा.02 /2025/I/528715/2025 भोपाल, दिनांक 30-09-2025

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
4. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, म.प्र., की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
Dr Shravan Kumar Pachauri
Date: 03-10-2025 18:00:59

उप संचालक (सा.सहा.)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.